

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2595/2022**

डॉ. सरोज कुमारी मीना पत्नी डॉ. धारा सिंह मीना , उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी 4, आशापूर्णा नैनोमैक्स , शिकारगढ़ , जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान लोक सेवा आयुक्त, अजमेर सचिव के माध्यम से ।
3. उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा ग्रुप-I विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा ग्रुप-I विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
5. प्राचार्य एवं नियंत्रक, डॉ . एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	सुश्री अभिलाषा कुम्भट सहायक श्री मीताक्ष दाधीच सहित
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एन एस राजपुरोहित -एएजी, सुश्री राखी चौधरी - उ.रा.अ. और श्री यशराज सिंह कुमावत, द्वारा सहायता प्राप्त श्री तरुण जोशी, वीसी पर श्री विक्रम द्वारा सहायता प्राप्त।

माननीय श्री न्यायाधिपति अरुण मोंगा**आदेश(मौखिक)****05/03/2025**

1. यहां याचिकाकर्ता, जो सहायक प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) बनने की इच्छुक है, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 17.01.2020 (अनुलग्नक 8) के विज्ञापन के अनुसार उक्त पद पर उसकी नियुक्ति करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने हेतु एक उपयुक्त रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग करती है।

2. पहले संक्षिप्त तथ्य। याचिकाकर्ता 18.10.2017 से डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में वरिष्ठ प्रदर्शक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पद पर कार्यरत हैं। 17.01.2020 को, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सहायक प्राध्यापकों और वरिष्ठ प्रदर्शकों के रिक्त पदों का विज्ञापन दिया, जिनमें सहायक प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के आठ पद शामिल थे, जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित था। याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और 16.03.2021 की आरक्षित सूची में उन्हें क्रम संख्या 5 पर रखा गया। डॉ. हरिनंदन मीना अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी का चयन वरीयता सूची में क्रमांक 8 पर हुआ था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। इसी प्रकार, नेहा जैन की नियुक्ति भी उनके कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रद्द कर दी गई।

2.1 नेहा जैन की नियुक्ति निरस्त होने के बाद, आरक्षित सूची में प्रथम अभ्यर्थी डॉ. नेहा अग्रवाल को दिनांक 08.11.2021 को नियुक्त किया गया। हालाँकि, डॉ. हरिनंदन मीना की नियुक्ति रद्द करने के बाद, प्रतीक्षा सूची में एकमात्र शेष एसटी श्रेणी की उम्मीदवार होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित कई अधिकारियों से अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बावजूद, इसी श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों को नवंबर 2021 में नियुक्त किया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वन्द्वी पक्ष की दलीलें सुनी हैं तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
4. दिनांक 18.02.2022 के अंतरिम आदेश के तहत, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा याचिकाकर्ता को निम्नलिखित अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था, उक्त आदेश प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है :-

“याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार है, आरक्षित सूची में था और अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक चयनित उम्मीदवार ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और उसका नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया गया। हालाँकि, ऐसी ही परिस्थितियों में, जहाँ सामान्य वर्ग की उम्मीदवार नेहा जैन ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, एक अन्य सामान्य वर्ग की उम्मीदवार नेहा अग्रवाल को नियुक्ति प्रदान की गई थी, याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई, जो न्यायोचित नहीं है।

याचिका की एक प्रति श्री मनीष व्यास, एएजी को दी गई है, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 1 और 3 से 5 की ओर से नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अगली तिथि तक कोई जवाब, यदि कोई हो, दाखिल किया जाए।

याचिका को 5.3.2022 को सूचीबद्ध करें।

इस बीच और अगले आदेश तक, प्रतिवादियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सहायक प्राध्यापक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के एक पद के लिए पुनः विज्ञापन देने से रोका जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले वकील के रूप में श्री मनीष व्यास, सहायक महाधिवक्ता, का नाम वाद सूची में दर्शाया जाए।”

5. पक्षकारों की दलीलों और याचिकाकर्ता के वकील की सुनवाई तथा याचिका के साथ संलग्न संबंधित अनुलग्नकों के अवलोकन के बाद, यह स्वीकार किया गया है कि वास्तव में विचाराधीन पद प्रतीक्षा सूची की वैधता के 6 महीने की समाप्ति के अंतिम

दिन रिक्त हुआ था। उक्त रिक्ति इसलिए थी क्योंकि चयनित उम्मीदवार ने नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद पदभार ग्रहण नहीं किया था।

6. इस संदर्भ में, कार्मिक विभाग (डीओपी) परिपत्र दिनांक 05.04.2021 (अनुलग्नक आर/2-2) के खंड-11 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें याचिकाकर्ता को नियुक्ति का लाभ न देने का कारण बताया गया है, जबकि वह अन्यथा वरीयतापूर्ण और योग्य है।

7. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि न तो याचिकाकर्ता की पात्रता विवाद में है और न ही उसका प्रदर्शन, जिसके कारण उसे प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर रखा गया था। उपरोक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र पर वापस लौटते हुए, संबंधित खंड-11 का अनुवादित संस्करण इस प्रकार है: -

"11.विभाग के दिनांक 19.07.2001 के परिपत्र के अनुसार, प्रतीक्षा सूची मुख्य सूची जारी होने की तिथि से छह माह तक प्रभावी रहती है। इस छह माह की अवधि की समाप्ति के बाद, न तो विभाग प्रतीक्षा सूची से नामों का अनुरोध कर सकता है और न ही आयोग नामों की अनुशंसा कर सकता है। प्रतीक्षा सूची से नामों/सूचियों की अनुशंसा करने से पहले, आयोग/बोर्ड के स्तर पर कई प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पूरी करनी आवश्यक हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि आयोग और बोर्ड को विभाग का अनुरोध छह माह की अवधि की समाप्ति से काफी पहले प्राप्त हो जाए। भविष्य में, सभी प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुख्य सूची के उन उम्मीदवारों के बारे में सूचना, जो कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, समय पर प्राप्त हो, और आयोग और बोर्ड को मुख्य सूची जारी होने की छह माह की अवधि की समाप्ति से कम से कम 45 दिन पहले प्रतीक्षा सूची से अनुशंसाओं के लिए विभाग के अनुरोध के बारे में सूचित किया जाए।"

याचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतीक्षा सूची के दौरान जब तक पद रिक्त रहा, उसका लाभ चयनित अभ्यर्थी को योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए था। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र 22.05.2021 को जारी किया गया था और कार्यभार ग्रहण करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, इसके बावजूद पद रिक्त घोषित

न करना प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया एक अत्यंत असंतुलित दृष्टिकोण है। सामान्यतः, कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के बाद, जब तक विस्तार की मांग न की गई हो, पद को 15 दिन की समाप्ति पर ही रिक्त मान लिया जाना चाहिए था।

8. हालाँकि, यह ज्ञात होता है कि चयनित उम्मीदवारों को शुरू में एक महीने और उसके बाद दो महीने का विस्तार दिया गया था। बहरहाल, विस्तारित अवधि समाप्त होने पर पद रिक्त हो गया। इस हद तक, मामला पूरी तरह से उल्टा है, क्योंकि याचिकाकर्ता को आमंत्रित न करने में प्रतिवादियों की गलती है। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पद रिक्त घोषित करने में देरी की और प्रतीक्षा सूची की समाप्ति की अंतिम तिथि तक इंतज़ार किया, उनका गलत काम सही नहीं हो जाता।

9. किसी भी स्थिति में, यदि प्रतीक्षा सूची की समाप्ति के अंतिम दिन पद रिक्त मान लिया जाए, तब भी, खण्ड-11 के अनुसार, लाभ प्रतीक्षा सूची के बने रहने के दौरान ही दिया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि प्रतीक्षा सूची की समाप्ति से 45 दिन पूर्व आरपीएससी को अध्याचना भेजने के लिए कदम उठाए जाने हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतीक्षा सूची की वैधता 6 माह से घटाकर 6 माह (180-45 दिन) से कम कर दी जाएगी, क्योंकि यह खण्ड-11 की मंशा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है।

10. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को तत्काल आदेश की वेब प्रति के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करें, बशर्ते कि वह अन्य सभी पहलुओं में योग्य/योग्य पाई जाए।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), जे

82-जितेन्द्र/प्रेम

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हां/नहीं।

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी